

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल  
(कक्ष-संयुक्त वन प्रबंधन/वन विकास अभिकरण)**

ई-मेल : apccfjfm@mp.gov.in, ccfjfm@mp.gov.in  
फोन नं. 0755-2674233, फैक्स नं. 0755-2763390

## शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, 2017-18

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में वन रक्षा और संवर्धन तथा वन्य जीव रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में अति विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और शासकीय, अशासकीय व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार- 2017-18 हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं। पुरस्कार वर्ग, कार्यक्षेत्र एवं पुरस्कार राशि की जानकारी नीचे तालिका में दी गयी है:-

क्र.	पुरस्कार वर्ग	कार्य क्षेत्र	पुरस्कार
1.	संरक्षण - ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियाँ, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थान।	वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र
2.	व्यक्तिगत (अशासकीय)	अ. वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
	व्यक्तिगत (अशासकीय)	ब. वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
3.	व्यक्तिगत (शासकीय)	अ. वन सुरक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र
	व्यक्तिगत (शासकीय)	ब. वन्य प्राणियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	रु. 50 हजार तथा प्रशस्ति पत्र

विस्तृत जानकारी तथा नामांकन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश में स्थित निकटतम वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व कार्यालय या वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाईट [www.mpforest.gov.in](http://www.mpforest.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व को भेजे जायें। निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) एवं वन्यप्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व के कार्यालय में पांच प्रतियों में दिनांक 25.08.2018 को सायंकाल 05.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

  
**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**  
**(संयुक्त वन प्रबंध/वन विकास अभिकरण)**  
**मध्य प्रदेश, भोपाल**  
**फोन नम्बर 0755-2524286**  
**मो. 9424790019**

## **शहीद अमृता देवी विश्नाई पुरस्कार हेतु दिशा—निर्देश एवं शर्तें**

**—0—**

1. विगत पांच वर्षों के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा वन संवर्धन में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उक्त पुरस्कार दिये जायेंगे।
2. संस्थागत/गैर शासकीय/शासकीय श्रेणी में आवेदनकर्ता को विगत पांच वर्षों में एक बार भी यदि किसी भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उनके प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
3. वृक्षारोपण कार्य के लिये 5 वर्षों से अधिक उम्र एवं 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के वृक्षारोपण ही पात्र माने जायेंगे और पुरस्कार वर्ष में कम से कम 75 प्रतिशत पौधों का जीवित एवं स्वस्थ होना अनिवार्य होगा।
4. पुरस्कारों हेतु वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
5. पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान/शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी को तथा वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक टाईगर रिजर्व को प्रस्तुत करेंगे।
6. ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के नामांकन जिला पंचायत की अनुशंसा सहित संबंधित वनमण्डलाधिकारी को भेजे जावेंगे।
7. पुरस्कार हेतु चयन के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति में निहित होंगे। चयन समिति के विवेकानुसार प्रस्तावित पुरस्कार की श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है।
8. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
9. विज्ञापन में दिये गये पुरस्कार की श्रेणी में उपयुक्त संस्था/व्यक्ति मिलने पर ही उसे पुरस्कार के लिये चयनित किया जावेगा, उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर उस वर्ष उस श्रेणी में पुरस्कार नहीं दिया जावेगा।
10. आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज पांच प्रतियों में एवं रंगीन फोटोग्राफ आदि संलग्न करें तथा अपने स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो—दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

### आवेदन—पत्र

**शहीद अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार, वर्ष ..... हेतु नामांकन प्रारूप**

वर्ग	1.	2(अ)	2(ब)	3(अ)	3(ब)
निशान लगायें					

1.	नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय/अशासकीय) का नाम	:	..... .....
2.	पता	:	..... .....
3.	दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर	:	.....
4.	वेबसाइट यदि कोई हो तो	:	.....
2.	कार्य क्षेत्र	:	.....
5.	पुरस्कार वर्ग	:	.....
6.	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण (यदि विवरण अधिक हो तो अधिकतम 2 पृष्ठ अलग से संलग्न कर सकते हैं।)	:	..... ..... ..... ..... .....
7.	किये गये कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण (विगत 5 वर्षों का)। कार्य विवरण देते हुए यह भी बतायें कि :	:	..... .....
	अ—कार्य की क्या विशेषता है?	:	..... .....
	ब—कार्य में जन भागीदारी किस प्रकार निहित है?	:	..... .....
	स—क्या किये गये कार्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ है अथवा उसकी क्या संभावना है?	:	..... .....
8.	शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त किये गये विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें, जिनके कारण पुरस्कार दिया जावे।	:	..... .....

### आवेदक के हस्ताक्षर

8. व्यक्तिगत (शासकीय कर्मचारी) वन एवं अन्य विभाग, श्रेणी 3 "अ" एवं "ब" के प्रस्ताव संबंधित शासकीय सेवक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निम्नानुसार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे:-

### प्रमाण—पत्र

1. नाम.....
2. पद ..... 3. वेतनमान .....
4. विभाग .....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध व्यूरो में कोई भी प्रकरण दर्ज/लंबित नहीं है।

**हस्ताक्षर**  
**एवं कार्यालयीन पद मुद्रा (नियंत्रक अधिकारी)**

10. प्रमाणीकरण (संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) द्वारा आवेदक के प्रकरण के ऊपर अपनी हस्तालिखित तथ्यात्मक टीप तथा स्पष्ट अनुशंसा दी जाये तथा कार्य में सहभागिता, नवाचार, प्रभावशीलता, कार्य के फैलाव तथा साहस से संबंधित विषयों पर विशेष टीप दी जाये।) तथा सत्यापित किया जाये कि नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय, अशासकीय) द्वारा दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

\* इस कॉलम में उपलब्धि पूर्ण न हो तो आवेदन के साथ अन्य पेज संलग्न करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर  
वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल .....

अंतिम तिथि : वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) के कार्यालय में नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख ..... है। इस संबंध में अन्य जानकारी वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी शाखा के क्षेत्र संचालक) से प्राप्त की जा सकती है।

सदस्य सचिव, पुरस्कार चयन समिति एवं  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सं.व.प्र. एवं व.वि.अ.)  
मध्य प्रदेश, भोपाल